14/3

2/57

From No. III
फर्द अहकाम
(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मा० जं०

इन्द्रसिंह S/o नूरासिंह राजपूत बनाम जमनीदेवी W/o [illegible]

किस्म मुकदमा 88, 188, 91/136 नं. ..../2018 सन् ....

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
1/1/18	पत्रावली आज R.A.A. महोदय पाली द्वारा इस न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु भिजवाने पर पेश हुई। दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारान को तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/2/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	
22/2/18	पत्रावली आज पेश हुई। साबिका आदेश की पालना की में आयन्दा दिनांक 14/3/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	
14-3-18	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] प्रतिवादी सं० 3 उप०/ तथा प्रतिवादी सं० 1 के वकील उप०/ [illegible] को जाब्तागत में तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब आयन्दा दि० 9/5/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	[illegible] 4 [illegible]

तारीख़ हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रति. नं. 2 उपस्थित। पत्रावली की पूर्व आदेशिका एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दिनांक 23/8/18 की आदेशिका अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 जरिये वकील प्रति. नं. 2, दिनांक 28/5/19 को वकील प्रतिवादी नं. 2 द्वारा जरिये Not Press withdraw किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 को खारिज किया जाता है। अधिवक्ता अभय. यति ने प्रतिवादी जमनी देवी की तरफ से वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। माननीय RAA - [illegible] पाली के आदेश दिनांक 13.01.12 तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 30/03/17 की पालना में सभी पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार नोटिस तामिली एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-26-R-9 आदेश दिनांक 27/8/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	198 / 7/8/19
27/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रति नं. 2 उपस्थित। शेष पक्षकारान को प्रेषित नोटिस बाद तामील/तस्दीक प्राप्त हुए। वादी तथा प्रति नं. 4 के नोटिस की तस्दीक प्राप्त हुई। प्रति नं. 1 व 3 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए जबकि प्रति नं. 5 का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। पत्रावली की पूर्व आदेशिका तथा संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि पत्रावली पूर्व में दिनांक 05/05/11 को तत्कालिन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णित की गई जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महो० द्वारा (RAA) में अपील की गई। माननीय RAA (पाली) द्वारा दिनांक 13/01/12 को प्रकरण/अपील में निर्णय पारित किया गया, जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी जमनी देवी को आवश्यक पक्षकार (प्रतिवादी) बनाया जाकर Contd.—	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस ... का तामिल में जारी
	पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा उनको उपखण्ड न्यायालय भा०ज० में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करते हुए प्रति प्रेषित किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 13/4/12 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर सुनवाई की गई। जिसमे दौरान ट्रायल/विचाराधीन वादी अथवा अधिवक्ता वादी की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गयी प्रकरण दिनांक 27/02/15 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। वर्ष 2012 से 2015 के बीच प्रकरण में जमनी देवी को आवश्यक पक्षकार (प्रतिवादी) के रूप में संयोजित हुआ पाया गया। जो कि दिनांक 21/05/12 की आदेशिका से जाहिर होता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलार्थी (मूल वाद में वादी) इन्द्रसिंह जो कि अपील में मृतक दर्शित किया गया है तथा अन्य अपीलार्थी भंवरकवर w/o भूरसिंह द्वारा माननीय RAA के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई। जिसमे माननीय न्यायालय R.B. अजमेर ने दिनांक 30.3.17 को निर्णय पारित किया तथा मान. RAA पाली के निर्णय को यथावत रखा गया साथ ही न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी भा०ज० के निर्णय दिनांक 27/2/15 को निरस्त किया गया तथा पुनः नम्बर पर लेने का आदेश प्रदान किया गया। पक्षकारान को दिनांक 15/5/17 को न्यायालय भा०ज० में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय RAA पाली द्वारा पत्रावली जरिये पत्रांक 2242 दिनांक 28.12.17 को कार्यालय में प्रेषित की गई जो कि कार्यालय हाजा में दिनांक 3/1/18 को प्राप्त हुई। जिसकी पालना में दिनांक 10/1/18 को प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। पुनः दर्ज होने से लगाकर आदिनांक तक वादी पक्ष असालतन अथवा वकालतन पेश नहीं हुआ।	

Contd.

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
	पन्नाराम को नोटिस बाबत साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु प्रेषित करने पर वादी की मौत की तस्दीक प्राप्त हुई। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष की तरफ से अथवा अधिवक्ता की तरफ से कोई नया वकालतनामा पेश नहीं किया गया। पूर्व में निर्णित मूल वाद के अन्दर वादी अधिवक्ता श्री सरदार सिंह बारहठ ही थे जिस कारण नियमानुसार अदिनांक तक वाद में वादी के अधिवक्ता के रूप में Stand रहे हैं। वादी अधिवक्ता अदिनांक तक अनुपस्थित रहे तथा उनकी तरफ से न तो वादी की मौत की सूचना तथा न ही उनके L.R. की सूचना न्यायालय हाजा में पेश की गई है। साथ ही वकील द्वारा No-Instruction Plead भी नहीं किया गया है जिससे अधिवक्ता सरदार सिंह बारहठ ही legal अधिवक्ता Count होंगे। अतः वकील वादी (पूर्व में निर्णित वाद अनुसार) को नोटिस भेजकर इस बाबत जवाब मांगा जावे कि क्या वे हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त हैं अथवा उनके द्वारा No-Instruction Plead किया गया है। अथवा वादी के LR के बारे में न्यायालय को अवगत करावें अन्यथा वाद में अग्रिम कार्यवाही अमल में ली जावेगी। पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/9/19 को पेश हो।	No Instruction Plead by me
	सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	सरदार सिंह बारहठ Advo. 20/9/19
27/9/19	पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर हैं/बैठक में पधारे हुऐ है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 1/10/19..... को पेश हो।	
	रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
1/X/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रति सं. 2 उपस्थित। दिनांक 27/8/19 के आदेश की पालना में पत्रावली के मृतक वादी के पूर्व नियत अधिवक्ता श्री सरदार सिंह बारहठ को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसके प्रत्युत्तर में अधिवक्ता ने दिनांक 20/9/19 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह मौखिक निवेदन किया कि वादी पक्ष से अधिवक्ता का काफी लम्बे समय से सम्पर्क नहीं रहा है तथा साथ ही पत्रावली में No Instruction Plead की लिखित टिप्पणी की गई जिसके फलस्वरूप अधिवक्ता सरदार सिंह बारहठ वादी के अधिवक्ता के रूप में Stand नहीं करते हैं। चूंकि पूर्व में प्रेषित Notice तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की रि. अपील एवं निर्णय से यह स्पष्ट है कि वादी की मौत पूर्व में हो चुकी है तथा मौत होने के बाद से आदिनांक तक वादी के विधिक वारिसान (L.R) न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं ~~[illegible]~~ चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 में यह स्पष्ट है कि ~ एकमात्र वादी की या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है, और वाद लाने का अधिकार बना रहता है वहां इस निमित्त आवेदन किये जाने पर न्यायालय मृत वादी के LR को पक्षकार बनायेगा और वाद चलेगा।, किंतु आदिनांक तक इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र किसी भी पक्षकार द्वारा पेश नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप एवं आदेश 22 नियम 3 (2) के अनुसार प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर वाद का उपशमन (abate) वहां तक हो जायेगा जहां तक मृत वादी का संबंध है। चूंकि आदिनांक तक वादी के विधिक वारिसान की तरफ से किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र न ही किसी प्रकार का वकालतनामा पेश किया गया है। अतः वादी के ~~आवश्यक~~ रूप में आवश्यक पक्षकार संयोजित होने योग्य कोई विधिक वारिसान उपस्थित नहीं जिससे वाद में वादी पक्ष के रूप में किसी को संयोजित नहीं किया जा सकता है।	

सहा... मारवाड़ जंक्शन

Contd..

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में कोई भी आवश्यक पक्षकार बतौर वादी शेष नहीं रह जाता है अतः प्रकरण को आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः हस्तगत प्रकरण में एक मात्र वादी की मृत्यु के पश्चात एवं उनके विधिक वारिसानों की अनुपस्थिति व सूचना के अभाव में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3(2) के तहत स्वतः ही उपशमित (Abate) विरुद्ध वादी हो चुका है।
साथ ही आदेश 22 नियम 9(2) के CPC के तहत भविष्य में मृतक वादी के (श्री इन्द्रसिंह) के किन्हीं विधिक वारिसान द्वारा उक्त वाद में अपनी उपस्थिति दी जावे तो नियमानुसार उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जावे इस बात के भी निर्देश दिये जाते हैं। अतः प्रकरण को एक मात्र वादी की मृत्यु के पश्चात एवं विधिक वारिसान की अनुपस्थिति के कारण उपशमित (Abate) किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 1/4/19 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
[illegible] जंक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2019.11.24 14:46:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: